

कानून सं. II/20015/12/97-राज्य (नीति-2), दिनांक 19.3.1997

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बारे में स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 4 मई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-राज्य (क-2) का हवाला देने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के अन्तिम दौर में अन्य बातों के अलावा सभी मंत्रालयी/विभागी से यह अनुरोध किया गया था कि अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन का प्रस्ताव इस विभाग को भेजते समय संसद सदस्यों और हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा बाकी प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्यों का जीवन-वृत्त अवश्य भेजें।

2. अजकल राजभाषा विभाग में गठन/पुनर्गठन के जो भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित 4 गैर-सरकारी सदस्यों का जीवन-वृत्त संलग्न नहीं होता। अतः सभी मंत्रालयी/विभागी से पुनः अनुरोध है कि जब भी अपनी हिन्दी सलाहकार समिति के गठन/पुनर्गठन का प्रस्ताव इस विभाग की औपचारिक सहमति के लिए भेजें, इसके साथ अपने मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित 4 गैर-सरकारी सदस्यों का जीवन-वृत्त अवश्य भेज दें।